

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-४/निदे० छात्रावास (सामग्री एवं पूर्तियों)०३-६१-०३/२०१५- ६१

शुद्धि पत्र

25/11/16


राज्य सरकार द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-४५१८ दिनांक-२९/०६/२०१६ एवं आवंटनादेश संख्या-२८ दिनांक-१०/०८/१६ के कंडिका-४ में

“इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, उपविकास आयुक्त होंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष-२०१६-१७ में अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनु० जनजाति आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों एवं सामान्य छात्रावासों में चौकी, मैट्रेस, डेस्क-बेंच, वाटर प्युरिफायर, कुर्सी, टेबुल, आलमीरा, बर्तन, खेल सामग्री, टी० भी०, पंखा अग्निशमन यंत्र आदि के क्रय पर राशि का व्यय किया जाएगा। आवश्यक सामग्रियों का क्रय विभागीय पत्रांक-४३२३ दिनांक-७.०६.२०१६ के आलोक में किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।”

के स्थान पर

“इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, उपविकास आयुक्त होंगे। वित्तीय वर्ष-२०१६-१७ में अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनु० जनजाति आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों एवं सामान्य छात्रावासों में चौकी, मैट्रेस, डेस्क-बेंच, वाटर प्युरिफायर, कुर्सी, टेबुल, आलमीरा, बर्तन, खेल सामग्री, टी० भी०, पंखा अग्निशमन यंत्र आदि के क्रय पर राशि का व्यय किया जाएगा। आवश्यक सामग्रियों का क्रय विभागीय पत्रांक-४३२३ दिनांक-७.०६.२०१६ के आलोक में किया जाएगा। साथ ही सामग्री एवं पूर्तियों मद की गत वर्षों के बकाये राशि का भुगतान किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।” पढा जाय।

२- इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय एवं शेष यथावत रहेगा।


(सुरेश पासवान)

सरकार के विशेष सचिव।

पटना, दिनांक- 25/11/16

ज्ञापांक-१/निदे० छात्रावास(सामग्री एवं पूर्तियों)०३-६१-०३/२०१५- ६१

प्रतिलिपि:- (१) महालेखाकार, बिहार, बीरचंद पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(२) सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(३) (i) निदेशक अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/संयुक्त सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/उप निदेशक (मु०), अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक(क०) अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/आई० टी० मैनेजर, संबंधित प्रशाखा पदा०, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव।